न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 533 / 2025

श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत पुत्र श्री देवीसिंह शेखावत, ग्राम बामलास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333022, मो0नं0 9460695166

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 22.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 533 / 2025 पर दिनांक 09.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 5301—5302 दिनांक 09.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1161 दिनांक 22.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत पुत्र श्री देवीसिंह शेखावत, ग्राम बामलास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, (राज0) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये ऑनलाईन सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1135 दिनांक 05.12.2025 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक व ऑनलाईन उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1161 दिनांक 22.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत पुत्र श्री देवीसिंह शेखावत, ग्राम बामलास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, (राज0) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये ऑनलाईन सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1135 दिनांक 05.12.2025 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक व ऑनलाईन उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि न्यायालय आदेश के संबंध मे चाही गई सूचना नियमानुसार न्यायालय मे आवेदन कर प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं